

बिहार सरकार
सहकारिता विभाग

अधिसूचना

08/नोको0(रा0)विभागीय-712/2013 श्री भोगेन्द्र नाथ झा, तत्कालीन प्रबंध निदेशक, पाटलीपुत्रा सेन्ट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लि0, पटना सम्प्रति सेवानिवृत्त के विरुद्ध कम्प्यूटराईजेशन कार्य में वित्तीय अनियमितता के लिए दर्ज निगरानी थाना कांड संख्या-049/2010 के आलोक में विभागीय अधिसूचना संख्या-594 दिनांक-05.02.2014 द्वारा निलंबित कर विभागीय संकल्प ज्ञापांक-593 दिनांक-05.02.2014 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी।

2- उक्त विभागीय कार्यवाही में निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना -सह- संचालन पदाधिकारी एवं श्री बी0के0बरियार, सहायक निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना -सह- उपस्थापन पदाधिकारी नियुक्त किया गया लेकिन विभागीय संकल्प ज्ञापांक-1966 दिनांक-13.05.2014 द्वारा विभागीय जाँच आयुक्त, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को इस विभागीय कार्यवाही का संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया।

3- विभागीय जाँच आयुक्त, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना -सह- संचालन पदाधिकारी के पत्रांक-386 दिनांक-31.07.2015 से जाँच प्रतिवेदन/अधिगम में श्री झा के विरुद्ध गठित सभी आरोप प्रमाणित पाये गये। उक्त जाँच प्रतिवेदन/अधिगम पर विभागीय पत्रांक-2782 दिनांक-12.08.2015 द्वारा श्री झा से द्वितीय कारण पृच्छा की गयी। संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन/अधिगम एवं श्री झा से प्राप्त द्वितीय कारण पृच्छा प्रतिउत्तर की सम्यक समीक्षा की गयी। समीक्षोपरान्त पाया गया कि श्री झा का द्वितीय कारण पृच्छा प्रतिउत्तर संतोषजनक नहीं है एवं इनके विरुद्ध प्रतिवेदित आरोप प्रमाणित है जिसके लिए वे दोषी हैं। अतएव विभागीय अधिसूचना ज्ञापांक-3722 दिनांक-06.11.2015 द्वारा निम्नांकित दंड संसूचित किया-

(i) अपने कालमान वेतन में चार प्रक्रम नीचे अवनति। अवनति के अवधि में वे वेतन वृद्धियाँ अर्जित नहीं करेंगे।

(ii) श्री झा को निलंबन अवधि में जीवन निर्वाह भत्ता के अतिरिक्त कुछ भी देय नहीं होगा।

4- श्री झा द्वारा उक्त दंडादेश के विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय, पटना में सी0डब्ल्यू0जे0सी0नं0-6286/2016 दायर किया गया जिसमें दिनांक-08.07.2024 को पारित न्यायादेश में विभागीय अधिसूचना ज्ञापांक-3722 दिनांक-06.11.2015 द्वारा संसूचित दंड को निरस्त करते हुए अनुशासनिक प्राधिकार को नये सिरे से विधिसम्मत कार्रवाई करने का आदेश पारित किया गया। माननीय न्यायालय के उक्त आदेश पर विद्वान महाधिवक्ता का परामर्श प्राप्त किया गया जो निम्न प्रकार है-

The Disciplinary Authority is not required to proceed afresh with respect to departmental proceeding against the petitioner because the Hon'ble Judge himself has recorded a finding that charge levelled against the petitioner constitutes misconduct and finding recorded by Disciplinary Authority cannot be faulted. He is only supposed to take a decision afresh. He is only supposed to take a decision afresh on the point of imposition of punishment also because only punishment order has been quashed and set aside and not the entire departmental proceeding.

5- विद्वान महाधिवक्ता के परामर्श के आलोक में श्री झा के विरुद्ध निम्नांकित दंड संसूचित किया जाने का निर्णय लिया गया -

(i) अपने कालमान वेतन में चार प्रक्रम नीचे अवनति। अवनति का दंड स्थायी प्रकृति का रहेगा परन्तु इसका प्रभाव भविष्य में अर्जित किये जाने वाले वेतन वृद्धि पर नहीं पड़ेगा।

(ii) श्री झा दिनांक-06.11.2015 से निलंबन मुक्त किया जाता है। निलंबन अवधि के विनियमन के संबंध में अलग से निर्णय लिया जायेगा।

(iii) यह आदेश भूतलक्षी प्रभाव दिनांक-06.11.2015 से प्रभावी माना जायेगा।

विभाग के उक्त प्रस्ताव पर विभागीय पत्रांक-601 दिनांक-30.01.2026 द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग, पटना से सहमति की मांग की गयी। जिसपर आयोग के पत्रांक-1109/लो0से0आ0 दिनांक-24.06.2026 द्वारा सहमति व्यक्त की गयी।

अतः आयोग के उक्त सहमति के आलोक में श्री भोगेन्द्र नाथ झा, तत्कालीन प्रबंध निदेशक, पाटलीपुत्रा सेन्ट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लि0, पटना सम्प्रति सेवानिवृत्त को निम्नांकित दंड संसूचित किया जाता है:-

(i) अपने कालमान वेतन में चार प्रक्रम नीचे अवनति। अवनति का दंड स्थायी प्रकृति का रहेगा परन्तु इसका प्रभाव भविष्य में अर्जित किये जाने वाले वेतन वृद्धि पर नहीं पड़ेगा।

(ii) श्री झा दिनांक-06.11.2015 से निलंबन मुक्त किया जाता है। निलंबन अवधि के विनियमन के संबंध में अलग से निर्णय लिया जायेगा।

(iii) यह आदेश भूतलक्षी प्रभाव दिनांक-06.11.2015 से प्रभावी माना जायेगा।

इसके सक्षम प्राधिकार माननीय मुख्यमंत्री, बिहार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह0/-

(कुमारी आरती)

विशेष कार्य पदाधिकारी।

ज्ञापांक/पटना, दिनांक

8/नि.को.(रा.)विभागीय-712/2013

प्रतिलिपि:-महालेखाकार (ले0 एवं हक0), वीरचन्द पटेल पथ, पटना/उप सचिव, वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

विशेष कार्य पदाधिकारी।

ज्ञापांक 5042/पटना, दिनांक 05/09/26

8/नि.को.(रा.)विभागीय-712/2013

प्रतिलिपि:-मुख्य सचिव, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, बिहार, पटना/सभी (प्रधान सचिव/सचिव एवं विभागाध्यक्ष)/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/मुख्य जाँच आयुक्त, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना/ माननीय मंत्री, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव/सचिव, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना के निजी सहायक/सभी अपर निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना/सभी संयुक्त निबंधक, सहयोग समितियाँ (अंकेक्षण सहित)/सभी उप-निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना/सभी जिला सहकारिता पदाधिकारी/सभी सहायक निबंधक, सहयोग समितियाँ/राज्य अनुश्रवण पदाधिकारी, आई.सी.डी.पी., पटना/सभी शीर्ष सहकारी संस्थान/प्राचार्य, सहकारिता प्रशिक्षण केन्द्र, पूसा, समस्तीपुर/संबंधित कोषागार पदाधिकारी/सभी पदाधिकारी (सचिवालय एवं निबंधक प्रभाग)/प्रशाखा-1 एवं 8 सहकारिता विभाग के सभी सहायकों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

05/09/26

विशेष कार्य पदाधिकारी।